कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT- I) MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002

कं / प्रशा–11 / स–6 / प्रतिनि / फा–84

दिनांक - 03/03/2021

कार्यालय आदेश / Office Order – 297

इस कार्यालय में कार्यरत श्रीमति सूसन एस. वर्गीस, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/6614) को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— ।), कर्नाटक, बेंगलुरू में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनाक- 12.03.2021 (अप) को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— ।), कर्नाटक, बेंगलुरू में कार्यग्रहण करें।

Consequent upon selection of Smt. Susan S. Verghees, Assistant Audit Officer (02/6614) posted in this office for the post of Assistant Audit Officer in the O/o Principal Accountant General (Audit- I) Karnataka, Bengaluru on deputation basis under general terms and conditions of deputation as well as the terms and conditions issued by Government of India from time to time and accepted by her, she is relieved on 12.03.2021 (AN) and is directed to join the O/o Principal Accountant General (Audit- I) Karnataka, Bengaluru.

उक्त स्थानान्तरण लोकहित में है ।

Aforesaid transfer is in public interest.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त दें।

She shall immediately intimate her jaining in the aforesaid office, to this office, through the barrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.वी.14017/30/2006 स्था. (आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र कमांक—19 लेखापरीक्षा (नियम)66—2002(KW)/IX -2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों द्वारा प्रतिनियुक्ति नियमित की जाती है—

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained Do.P.T.O.M.No.A.V.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received Headquarters' letter no.19 Audit (Rules)66 2002(KW)/IX-2007(10)dated 06.03.2007:-1 प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति दिनांक— 11.03.2022 तक के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी को अवधि समाप्त

होने पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई आदेश नही दिये जायेंगे।

Initially the deputation will be upto 11-03-2022 and the officer on deputation will have to be compulsorily relieved at the end of the period. No separate order will be issued for her

2 प्रतिनियुक्ति की अविध में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति अविध की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिये अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है । प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवरस्टे न हो यह सुनिष्टिचत करना उसके अगले उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं– DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 के अनुसार यदि उधारग्रहीता कार्यालय अधिकारी / कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित अवधि से आगे बनाया रखना चाहते है तो उन्हे उधारदाता कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी से सहमति हेतु छह माह पूर्व कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए।

Deputation period will not be extended and she will be treated as relieved unless the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstayal of staff on deputation. As per para 8.3.1 (ii) of DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, If the borrowing organisation wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organisation, individual concerned etc. six months before the date of expiry of tenure.

3 यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों, तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिये जिम्मेदार होगा जिसमें शामिल होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिये सेवा नहीं गिना जायेगा तथा अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

In the event the officer overstaying for any reason whatsoever, she will be liable to disciplinary action and other adverse Civil Service consequences in which period of unauthorized overstay shall not be counted against service for the purpose of pension and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins her parent cadre.

4 टीए / मेडिकल क्षतिपूर्ति / सी.ईए / एल.टी.सी. तथा सी.जी.एच.एस. स्कीम के अन्तर्गत लाग भारत सरकार द्वारा समय

पर जारी नियमों / आदेशों के अनुसार लागू होगें।

The benefits under TA/Medical Claim/C.E.A/L.T.C & CGHS Scheme will be applicable as per the terms and conditions issued by Government Of India time to time.

(प्राधिकार:—प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक:— 02.03.2021)

हस्ता / –

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन—11

कं / प्रशा–11 / स–6 / प्रतिनि / फा–84 / जा–5 78 – 1/ 332 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

दिनांक - 03/03/2021 05-03-2021

1 सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

3 उप महालेखाकार / प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन,

4 वरि. उप महालेखाकार / प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— ।), कर्नाटक, बेंगलुरू, द्वितीय तल, सी ब्लॉक, डाक थैली सं– 5398, बैंगलूरू– 560001।

5 वरि. उप महालेखाकार / प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., ग्वालियर ।

6. उप निदेशक (लेखापरीक्षा) डाक एवं दूरसंचार, एनेक्सी संचार भवन, BSNL कम्पाउन्ड, होशंगाबाद

 वरि. उपमहालेखाकार / ए.एम.जी-3, कार्यालय प्रधान मेहर जांकाः (लेखापरीक्षा- ।), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर को इस आशय के साथ कि श्रीमित सूसन एस. वर्गीस, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/6614) को दिनांक – 12.03.2021 (अप.) को सीधे प्रतिनियुक्ति कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करने का कष्ट करें।

8 भुगतान एवं लेखा अधिकारी प्रभारी पी.ए.ओ. 2/5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

9 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन — 12,13,14, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, सामान्य अनुभाग,

10 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई. एस. एण्ड डी.ए.सी, को इन्ट्रानेट पर "Administration-Personnel" लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

11 श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय / स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

12 महामंत्री, एस.ए.एस. ऑडिट ऑडिट वेलफेयर ऐसोसिएशन, ग्वालियर ।

13 संबंधित अधिकारी

14 सूचना पटल/ऑडिट भवन ।

15 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन-

B. 3.7 Shu Mikh